# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

**पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 26/2018**

ओमप्रकाश रोठौर एफ0एस0ओ0 कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा।

**सायल**

**बनाम**

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल वेण्डर ऑफ मसर्स श्री मूलचंद शर्मा रिफ्रेशमेन्ट टी स्टॉल नं0 2 भरजपुर जं0 प्लेटफार्म नम्बर –1 निवासी ग्राम नगला मक्खन पोस्ट सोफरी तहसील लक्षमणगढ जिला अलवर।
2. श्री प्रदीप शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री मूलचंद शर्मा मै0 श्री मूलचंद शर्मा रिफ्रेशमेन्ट टी स्टॉल नम्बर –2 जं0 प्लेटफार्म नं0–1 निवासी स्टेशन रोड बजरिया, शर्मा सदन, भरतपुर।
3. ज्य बजरंगी सप्लायर्स बी–39 गिर्राज कॉलोनी रेल्वे स्टेशन भरतपुर।
4. श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री शीतल प्रसाद गुप्ता श्री गिर्राज जी फूड प्रोडेक्ट एवं बंबरेज ग्राम सलेमपुर सोंक रोड मथुरा (उ0प्र0) सिनवासी 343 गली पीर पंच होली गेट मथुरा उ0प्र0 281001

**गैर सायल**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति :
श्री निर्मलसिंह वकील गैर सायल ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## निर्णय

**दिनांक : 13.6.2018**

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायलान मय वकील श्री निर्मलसिंह उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 17.5.2017 को प्रातः 10:30 बजे पर गैरसायल की टी–स्टॉल मै0 श्री मूलचंद शर्मा रिफ्रेशमेन्ट टी स्टॉल नम्बर –2 जं0 प्लेटफार्म नं0–1 का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त स्टॉल पर आम जनता के इस्तेमाल एवं विक्रय हेतु BIBO PACKAGED DRINKING WATER एक लीटर के मूल पैक में रखी हुई पायी गई। जिसमें मिलावट अथवा संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट

संख्या एलएस–1170/एक्ट/2017/1237 दिनांक 31.5.2017 द्वारा उक्त BIBO PACKAGED DRINKING WATER का नमूना मिथ्या छाप (Misbrand) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्या छाप (Misbrand) स्तर की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर वकील गैरसायल ने कथन किया कि यह BIBO PACKAGED DRINKING मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में मिथ्याछाप की जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। जिसका भी हमने तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा संशोधित किये गये लेवलिंग की नई स्लीप पेश की गई। अवलोकन किया गया। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए BIBO PACKAGED DRINKING WATER का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल की स्टॉल पर आम जनता को विक्रय हेतु BIBO PACKAGED DRINKING WATER का नियमानुसार नमूना लिया जो खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1170/एक्ट/2017/1237 दिनांक 31.5.2017 द्वारा मिथ्याछाप (Misbrand) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप स्तर के BIBO PACKAGED DRINKING WATER का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51–52 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायलान को 30,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000060 दिनांक 13.6.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 को सुनाया गया।

**न्याय निर्णयन अधिकारी एवं**
**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,**
**भरतपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official